राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएमएम/जी–88 (पार्ट–1)/2015/ दिनांक :

काउंसलिंग विज्ञप्ति

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण सत्र 2015–16 में ऑनलाईन प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम

इस निदेशालय की प्रवेश विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2015/ 1091–92 दिनांक : 18.06.2015 के संदर्भ में निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी/जांच एवं इस परिपेक्ष में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण पश्चात् आरक्षण की श्रेणीवार राज्य स्तरीय वरियता सूची व राजकीय नर्सिंग स्कूलों की सूची विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है एवं निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनकी सीटों की संख्या दिनांक 20.08.2015 के बाद विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध होगी। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन कांउसलिंग हेतु रू. 180/– एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु रू. 10,000/– अग्रिम राशि के रूप में ई–मित्र/सीएससी कियोस्क केन्द्र के माध्यम से शुल्क जमा कराकर 16 डिजीट का टोकन न0 प्राप्त कर दिनांक : 18.08.2015 को ऑनलाईन प्रवेश हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

ऑनलाईन प्रवेश हेतु शर्ते निम्नानुसार है :–

1. योग्य अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण/वर्गवार राज्य स्तरीय मेरिट सूची एवं राजकीय नर्सिंग स्कूल्स की सूची तथा विकल्प पत्र ऑनलाईन प्रवेश हेतु सूचना विभागीय वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध है।
2. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन ऑनलाईन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी की राज्य स्तरीय मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन दिये गये विकल्प एवं उपलब्ध रिक्त सीट के आधार पर किया जावेगा। अभ्यर्थियों को अपनी रूचि/वरियता के प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाते हुए विकल्प पत्र ऑनलाईन काउंसलिंग के जरिये ही भरकर प्रस्तुत करना होगा। तद्नुसार ही अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जावेगा।
3. रूचि के केन्द्र में प्रवेश मिलने पर केन्द्र आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नही लेगा/प्रशिक्षण को छोड देता है तो उसके द्वारा फीस पेटे जमा अग्रिम राशि जब्त योग्य होगी तथा आगामी ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी पात्र नही होगा।
4. राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की सीटो पर "आरक्षण की श्रेणीवार" प्रवेश दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थी को विकल्प भरते समय सावधानी बरतनी होगी, भरे गये विकल्प में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नही होगी।
5. राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की ऑनलाईन काउंसलिंग के पश्चात् निजी नर्सिंग स्कूल्स की ऑनलाईन काउंसलिंग से पूर्व मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग स्कूल्स के नाम/सीटों की संख्या विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कर दी जावेगी। निजी नर्सिंग स्कूल्स की संभावित सीटों की संख्या लगभग 3000 है। निजी नर्सिंग स्कूल्स की सीटों की संख्या निर्देशानुसार घटाई/बढाई जा सकती है।
6. निजी नर्सिंग स्कूल्स की प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग सम्भावित दिनांक 20.09.2015 के बाद प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल को निर्धारित अवधि में तत्परता से प्रस्तुत करनी होगी। यदि उपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना किसी संस्थान द्वारा नही दी गई या सूचना देने में विलम्ब किया गया हो तो ऐसी निजी नर्सिंग

स्कूल में आवंटन नही होने के फलस्वरूप रिक्त रहने वाली सीटों के लिये ऐसी निजी नर्सिंग स्कूल का स्वयं का दायित्व होगा।

7. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रादि/अंकतालिका/निःशक्तजन प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/सेवारत महिला/पुरूष अभ्यर्थी अपना प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि एवं नियंत्रक अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया निरन्तर 5 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र आदि उनके नर्सिंग स्कूल्स में ही प्रस्तुत करने होंगे और इनका संबंधित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन करा लिये जाने के बाद ही लौटाया जा सकेगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जायेगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुए उसके खिलाफ अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।
8. राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, आवंटित होने की स्थिति में अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज प्रशिक्षण केन्द्र पर ही जमा कराने होंगे, अन्यथा प्रवेश रद्द समझा जावेगा।
9. विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी मात्र एक पैर से निःशक्त होने पर ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। जिसके लिए चिकित्सा अधिकारी (ऑर्थोपेडिक)/ चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जो तीन वर्ष से पुराना न हो ही मान्य है।
10. प्रथम काउंसलिंग की सूची ऑनलाईन जारी करने की तिथि 20 अगस्त, 2015 है।

नोट :–

- **अन्य पिछडा वर्ग (ओ0बी0सी0)का प्रमाण पत्र 6 माह से पुराना नही होना चाहिए।**
- **निःशक्तजन प्रमाण पत्र जो तीन वर्ष से पुराना नही होना चाहिए।**

(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2015/1301 दिनांक : 13-8-15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को पालनार्थ।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके यहां दिनांक 20.08.2015 को एक हॉल उपलब्ध कराते हुए पूर्व की भाति जलपान, फर्नीचर तथा काउंसलिंग में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये नाश्ते व भोजन की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय अधीक्षक, (प्रशिक्षण) अनुभाग का अर्जेन्ट नेचर का कार्य संपादित करेंगे और आवश्यकता पडने पर संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण/चयन समिति के निर्देशानुसार काउंसलिंग का कार्य करेंगे।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रवेश हेतु प्रकाशित की जाने वाली काउंसलिंग विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
8. जैनिथ आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा0.लि0, मालवीय नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रथम ऑनालईन काउंसलिंग राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु दिनांक 20.08.2015 को सम्पन्न की जानी है। इस हेतु आप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, मय ऑपरेटरर्स की तत्काल प्रभाव से व्यवस्था करावें। काउंसलिंग से दो दिन पूर्व दिनांक 18.08.2015 को प्रायोगिक परिक्षण प्रदर्शन (DEMO) प्रस्तुत करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर